न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 82/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री लालशंकर पिता श्री ऊंकारलाल जी निवासी जावर माइन्स जिला उदयपुर (राज0) हाल मुकाम मकान नंबर–1 आशीर्वादनगर, श्रीनाथ मंदिर के पास पिकोक हील सवीना उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. उपायुक्त राजस्थान हाउसिंग बोर्ड उदयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 28–03–2017 प्रकरण सं. 101/2015 रेवेन्यू वाद

———

उपस्थित :–1– श्री सुभाष श्रीमाली अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बीना माथुर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

——————/——————

निर्णय **दिनांक 03–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सवीनाखेड़ा में गत बन्दोबस्त की आराजी नंबर 506, 509, 517, 518/32 रकबा 6 बीघा जमीन में खेमराज गुर्जर का 1/2 हिस्सा था, जिसको खेमराज द्वारा वादी के अलावा 49 अन्य क्रेतागण को दिनांक 25–9–1985 को विक्रय कर कब्जा सिर्पुद कर दिया व उक्त 1/2 हिस्से पर वादी का अन्य सह–खातेदारान के साथ नाम दर्ज होकर कब्जा हो गया। उक्त आराजीयात का हाल बन्दोबस्त में आराजी नंबर 824 रकबा 1.115 हैक्टर बना। वादी को हाल ही में जानकारी हुई कि यह भूमि

राजस्थान आवासन मण्डल के नाम बिना विधिक प्रक्रिया के दर्ज कर दी गई है। वादी को आराजी नंबर 824 में 1/50 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा–4(1)(2) में प्रकाशन दिनांक 18–12–1990 को किया जाकर धारा–17(4) की शक्तियों का प्रयोग किया गया तथा भूमि अवाप्त की जाकर अवार्ड भी पारित कर दिया गया है। कब्जा दिनांक 25–6–1991 को आवासन मण्डल को खेमराज से प्राप्त होकर भूमियां आवासन मण्डल में निहित होकर, भूमियां कृषि नही ंरही है। भूमियां अवाप्त होकर आवासीय होकर कृषि नहीं होने से इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं है तथा न ही वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, वाद खारिज किया जाय।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी द्वारा देते हुए निवेदन किया कि वादी 1085 से ही इस भूमि का खातेदार है। अवाप्ति में वह शामिल नहीं था। भूमियां कृषि भूमि ही है, अवाप्ति अवैध है। अधिनस्थ न्यायालय का क्षैत्राधिकार भी नहीं हो तो भी धारा–239 की कार्यवाही की जानी चाहिये।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 28–3–2017 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 विपक्षी का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 6–4–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता बीना माथुर ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई, जो पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध है। अपीलान्ट क प्रमुख अपील उजर यह है कि वह विधिक क्रेता होकर काबिज है, अब अवाप्ति की अधिसूचना का प्रकाशन नहीं हुआ तथा उसक कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का ही है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी होकर अवार्ड पारित होकर भूमि आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की जा चुकी है। अवार्ड में वादी के विक्रेता का भी नाम दर्ज है। विधिक रूप से भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अवाप्त हो जाने के बाद अवार्ड में वादी अपीलान्ट का अधिकार क्रेता होने के कारण शेष रहता है, जिसके विनिश्चियन के लिए यह न्यायालय अधिकृत नहीं है। अपितु वादी को अवाप्ति अधिकारी के यहां अवार्ड के लिए चाराजोही करनी चाहिये। यह न्यायालय विधिक रूप से अवाप्त शुदा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के सम्बन्ध में अपना क्षैत्राधिकार नहीं रखता, जैसाकि ए.आई.आर. 2010 (एस.सी.) पेज–805 में निनिश्चित किया गया है तथा यह भी विनिश्चित किया गया है कि अवाप्ति अधिनियम की धारा–2017 के तहत नोटिस दिया जाना भी अनिवार्य नहीं है। स्पष्टतया वादी का वाद क्षैत्राधिकार विरूद्ध इस न्यायालय में विधि वर्जित क्षैत्राधिकार आधार पर वाद पूर्व ही आवासीय प्रयोजनार्थ अवाप्त शुदा भूमि के सन्दर्भ में पेश किया गया है, जो विधि वर्जित है एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विधि विरूद्ध आधार पर खारिज किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–3–2017 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री लालशंकर पिता श्री ऊंकार लल जी व्यास निवासी जावर माईन्स जिला उदयपुर हाल मुकाम मकान नं0 1 आर्शीवाद नगर, श्रीनाथ मंदिर के पास पिकोक हील सवीना उदयपुर

बनाम

1– उपयुक्त राजस्थान हाउसिंग बोर्ड उदयुर

2– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर उदयपुर

अपील नं0 **82/2018** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **गिर्वा .....**..... मुकाम मुर्क्खे.....**28**.....माह.....**03**..... **2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**03**..... माह .....**10**..... सन् **2018....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**सुभाष श्रीमाली ....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री पंकज भटनागर** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–3–2017 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**03**..... माह ...**10**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।